(उत्पाद प्रशाखा)

पत्रांक 922 / उत्पाद

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

सहरसा, दिनांक 21.12

विषय– बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहनों की नीलामी में भाग लेनें हेतु आम सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहनों की सार्वजनिक रूप से खुली नीलामी में भाग लेने हेतु आम सूचना की प्रति (हार्ड कॉपी तीन प्रति में एवं साफ्ट कॉपी) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि इसे सभी दैनिक समाचार पत्रों अथवा कम–से–कम तीन प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

अनुलंग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 922 / उत्पाद, दिनांक– 21.12.17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस जिला के वेबसाईट पर प्रमुखता से लाल रंग के हेडिंग में इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि ये आसानी से दृष्टिगत हो सके।

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस आम सूचना का अपने कार्यालय में संधारित नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित कराएंगे।

प्रतिलिपि– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

समाहरणालय, सहरसा

(उत्पाद प्रशाखा)

(बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरण वाहन की सार्वजनिक नीलामी)

–: वाहन नीलामी हेतु आम सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी के उपरांत शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त वाहन को समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के द्वारा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन अधिहरित किया गया है, जिसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्री किया जाना राज्यहित में आवश्यक है। तद् आलोक में निम्नलिखित वाहन/वाहनों की नीलामी "जैसा है, उसी स्वरूप में" के आधार पर अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिनांक–**02.01.2018** को पूर्वाह्न **11:00** बजे स्थान–**समाहरणालय, सभा कक्ष, सहरसा** में की जाएगी।

नीलामी हेतु वाहन का विवरण–

क्रम सं0	राज्यसात वाहन का निबंधन संख्या	समाहर्त्ता न्यायालय अधिहरण (उत्पाद) वाद संख्या	राज्यसात वाहन का प्रकार	वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य (मोटरयान निरीक्षक द्वारा निर्धारित)	वाहन भंडारण स्थल	अग्रधन की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	BR-21F-2331	वाद संख्या–01	मोटर साईकिल	5500	उत्पाद बैरक	1100
2	BR-50A-9467	वाद संख्या–02	मोटर साईकिल	4200	उत्पाद बैरक	840
3	BR-19J-8839	वाद संख्या–03	मोटर साईकिल	30000	उत्पाद बैरक	6000
4	BR-19F-4555	वाद संख्या–04	अल्टो कार	45000	उत्पाद बैरक	9000
5	OR-18B-4143	वाद संख्या–07	मोटर साईकिल	51000	सहरसा सदर थाना	10200
6	DL-5CG-1840	वाद संख्या–08	मारूति	31000	सहरसा सदर थाना	6200
7	BR-43P-3196	वाद संख्या–11	टेम्पु	70000	सहरसा सदर थाना	14000
8	BR-11F-1974	वाद संख्या–16	सुमो विक्टा	301000	उत्पाद बैरक	60200
	BR-10M-1706		सुमो गोल्ड	301000		60200

(उत्पाद प्रशाखा)

निलामी हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारति स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है।
2. उपरोक्त विवरणी के स्तम्भ 05 में अंकित राशि को वाहन का सुरक्षित मूल्य माना गया है। सुरक्षित मूल्य से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
3. वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया बारी–बारीसे होगी, अर्थात एक वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरे वाहन की नीलामी की जाएगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक–A में अंकित घोषण पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।
5. नीलामी में भाग लेने हेतु वाहन के सुरक्षित मूल्य का **20** प्रतिशत अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात् ही नीलामी में भाग ले सकते है। अग्रधन जमा करने की अंतिम तिथि–**02.01.2018** को नीलमाी की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के 01 (एक) घंटा पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। एक से अधिक वाहन के लिए बोली लगाने की स्थिति में प्रतिवाहन अलग–अलग अग्रधन जमा करना होगा। अग्रधन बैक ड्राफ्ट के रूप में जिला पदाधिकारी, सहरसा के नाम से जमा करना होगा, जो नीलामी की प्रक्रिया खत्म होने पर वापस कर दिया जाएगा।
6. नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर अगले उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सफल माना जाएगा।
8. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुस्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके निर्णय हेतु नीलामीकर्त्ता का निर्णय अंतिम होगा।
9. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामीकर्त्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
10. नीलामी की प्रक्रिया में समाहरणालय अथवा इससे संलग्न कार्यालय/इसके अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अथवा इससे संलग्न थाना/कार्यालय के कर्मी/पदाधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मी भाग नहीं लेंगे।
11. सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन को स्थानांतरित कराना होगा। नीलामीकर्त्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा, और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. अपने विवके से बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सम्पूर्ण वाहन की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय नीलामीकर्त्ता सुरक्षित रखता है तथा यह निर्णय अंतिम होगा।
13. इसकी जानकारी जिला के वेबसाईट **www.saharsa.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।
14. कार्यदिवस में वाहन के अवलोकन के संबंध में अथवा नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी हेतु उत्पाद अधीक्षक, सहरसा (मो0नं0–9473400628) से सम्पर्क किया जा सकता है।

21/12

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।